गोपनीय/मुहरबंद

बिहार सरकार
खेल विभाग
मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख

विषय :– खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–37, दिनांक–09.01.2024 द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–44 के बाद एतद् नया क्रमांक–''45 खेल विभाग'' जोड़कर नया "खेल विभाग" का गठन किया गया है।

2. खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय–समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल निदेशालय के गठन से खेल विभाग के पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों/एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी।

3. खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना के कार्यालय का गठन होने से खेल से संबंधित अवसंरचना के निर्माण, जीर्णोद्धार तथा रख–रखाव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खेल आयोजन एवं खिलाड़ियों के विकास एवं संवर्द्धन से संबंधित कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन हो सकेगा। खेल निदेशालय के गठन का मुख्य उद्देश्य, कार्य एवं कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे:–

(i) विभाग के दिशा निर्देश में खेल अवसंरचना के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं रख–रखाव के कार्यो को कराना।
(ii) खेल कार्यक्रमों को संचालित कराने में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सहयोग प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को संचालित कराने में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सहयोग प्रदान करना।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालयों (बिहार खेल विश्वविद्यालय, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, राज्य खेल एकेडमी एवं क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर, पाटलिपुत्र खेल परिसर, राजगीर खेल परिसर तथा नीतिगत मामले को छोड़कर) के स्थापना से संबंधित कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करना।

(v) समय–समय पर विभाग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना।

4. खेल विभाग, खेल निदेशालय का प्रशासी विभाग होगा। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव खेल निदेशालय के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. निदेशक, खेल निदेशालय के विभागाध्यक्ष एवं नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. खेल निदेशालय के कार्यो एवं दायित्वों का समय–समय पर सम्परिवर्तन एवं निर्धारण का अधिकार खेल विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

7. खेल विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं०–38, दिनांक–21.06.2024 द्वारा खेल निदेशालय, पटना हेतु विभिन्न कोटि के कुल–35 (पैंतीस) पदों का सृजन किया जा चुका है (सुलभ प्रसंग हेतु छायाप्रति संलग्न)। अतः खेल निदेशालय के गठन के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय भार राज्य–सरकार को वहन नहीं करनी पड़ेगी।

8. अतः प्रस्ताव है कि खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाय।

9. संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं संलेख पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. उपर्युक्त कंडिका–3, 4, 5, 6 एवं 8 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

Rajendra 15.1.2025

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0– 33(गठन)–01/2024/115 पटना, दिनांक–16.1./2025

प्रतिलिपि :– संलेख की 50 प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

Rajendra 15.1.2025

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

जाँच पत्र

1.	विभाग का नामः–	खेल विभाग, बिहार, पटना।
2.	संचिका संख्या :–	01 / स्था0–33(गठन)–01 / 2024
3.	प्रस्ताव का विषय :–	खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन के संबंध में।
4.	क्या हर संलेख के ऊपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपांत में गोपनीय / मुहरबंद लिखा गया है?	हाँ
5.	क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मुख्य बातों का उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	हाँ
6.	जिन विभागों के परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख में सहमत हैं?	हाँ
7.	व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है, बजट उपबंध किया जा चुका है, तो लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं?	आवश्यक नहीं
8.	यदि वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग या किसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त लगाये गए हैं तो उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गया है और प्रस्ताव तदनुसार है?	आवश्यक नहीं
9.	क्या संलेख पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं इसे संलेख में लिख दिया गया है?	हाँ
10.	क्या संलेख वाली संचिका के साथ अन्य सृजित संचिकायें जमा की गई है और उन्हें निर्देश अंकित कर दिया गया है।	आवश्यक नहीं
11.	क्या नये पदों के सृजन एवं उत्क्रमण के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति विभाग की सहमति के अतिरिक्त यदि योजना मद में हो तो योजना	आवश्यक नहीं

	विभाग और गैर योजना मद में हो तो प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है?	
12.	ऐसे मामले में जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है क्या लोक सेवा आयोग के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है?	आवश्यक नहीं
13.	सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के मामले में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या संलेख में हर उम्मीदवार की योग्यताओं का पूरा–पूरा उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
ख	क्या सीधी भर्ती वालों के पूर्व वृत सत्यापित कर लिये गये हैं?	आवश्यक नहीं
14.	प्रोन्नति का सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका है, जिसमें अनु. जाति एवं अनु. जनजातियों के लिए स्थानीय आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति में आरक्षण का लिहाज रखा गया है और यदि नहीं तो उसका कारण एवं इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ली गयी है या नहीं?	आवश्यक नहीं
15.	(1) क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों ने सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सभी अर्हता और शर्त पूरी कर ली है?	आवश्यक नहीं
	(2) जिस पद पर प्रोन्नति प्रस्तावित है वह स्थायी रूप से स्वीकृत है या अस्थायी?	आवश्यक नहीं
	(3) प्रोन्नति स्थायी/परीक्ष्यमाण या स्थायी रूप से प्रस्तावित है?	आवश्यक नहीं
16.	क्या संपुष्टि या प्रोन्नति विषयक प्रस्तावों में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित है और यदि किसी का अवक्रमण (सुपरलेसन) है, तो क्या संलेख में इसके कारण का उल्लेख कर दिया गया है?	आवश्यक नहीं
17.	प्रोन्नति या मौलिक नियुक्ति के मामलों में :–	आवश्यक नहीं
क	क्या प्रोन्नति या नियुक्ति किये जाने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध किन्हीं अभियोग के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है?	आवश्यक नहीं
ख	यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो क्या	आवश्यक नहीं

	इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है?	
ग	क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है।	आवश्यक नहीं
18	क्या लोक सेवा आयोग के अनुशंसा की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति का उसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच कर ली जाए:–	आवश्यक नहीं
(क)	(i) लोक सेवा आयोग को अधियाचना पत्र किसी पत्र से कब भेज गया है?	आवश्यक नहीं
	(ii)क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है तो विभाग से भेजना लंबित है?	आवश्यक नहीं
	(iv)वर्त्तमान तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति सर्वप्रथम कब स्वीकृत की गयी थी और कितने दिनों से अवधि विस्तार हो रहा है?	आवश्यक नहीं
	(v)नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलंब का कारण क्या है?	आवश्यक नहीं
(ख)	(i)क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है?	आवश्यक नहीं
	(ii)कोई प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है?	आवश्यक नहीं
	(iii)किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है?	आवश्यक नहीं
(ग)	क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़कर विभागीय प्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है?	आवश्यक नहीं
19.	अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से प्राप्त प्रस्ताव के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका दी गई है, जिसें यह स्पष्ट किया गया है कि विलंब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारियों को दंड देने के लिए विभाग ने कौन सी कार्रवाई की गयी है ?	आवश्यक नहीं
20.	क्या संलेख प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं (संलेख पर प्रधान	हाँ

	सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में ही संयुक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए)।	
21.	संलेख कम्प्यूटर टंकित करने के बाद उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा उसे पढा गया है या नही तथा संलेख की प्रति स्वच्छ एवं स्पष्ट है या नहीं।	हाँ
22.	क्या संलेख को प्रधान सचिव/सचिव ने देखा है या नहीं? (संलेख उनके माध्यम से ही विभागीय मंत्री के पास भेजा जाना चाहिए)	हाँ
23.	संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नहीं?(प्रेस नोट 35 प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
24.	कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नहीं? (कार्यान्वयन अनूसुची 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
25	जाँच पत्र संलग्न है या नही? (जाँच पत्र 5(पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	हाँ
26	संलेख की प्रतियाँ संलग्न है या नही? (संलेख की 3(तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 45(पैंतालीस) छाया प्रति संलग्न किया जाना चाहिए। संलेख की एक मूल हस्ताक्षरित प्रति विभाग की संचिका में रहनी चाहिए)।	हाँ

15.1.2015

(डॉ0 बी0 सजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक–III

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागों द्वारा अनुपालन हेतु

–: कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण :–

विभाग का नाम :– खेल विभाग।

संचिका संख्या :– 01/स्था0–33(गठन)–01/2024

विषय :– खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन के संबंध में।

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रिति/मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन के संबंध में।	खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय–समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन	एक सप्ताह।

	एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल विभागीय पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों/एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी। खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना के कार्यालय का गठन होने से खेल से संबंधित अवसंरचना के निर्माण, जीर्णोद्धार तथा रख–रखाव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खेल आयोजन एवं खिलाड़ियों के विकास एवं संवर्द्धन से संबंधित कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन किया जाना है।	

हस्ताक्षर :–
नाम :– डॉ0 बी0 राजेन्दर
पदनाम :–सरकार के अपर मुख्य सचिव
खेल विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

<u>खेल विभाग</u>

।। प्रेस नोट।।

खेल के क्षेत्र में राज्य ने व्यापक प्रगति की है। खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाड़ी की उपलब्धि प्रशंसनीय है। राज्य के खिलाड़ी कई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इण्डिया तथा दिव्यांग खेल के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समय–समय पर केन्द्र सरकार के निदेशानुसार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध तरीकों से प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के वृहत आयोजन एवं प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किये जाने से युवाओं में खेल के प्रति अभिरूचि बढ़ी है और खेल संस्कृति में वृद्धि हुई है एवं व्यापक सहभागिता का माहौल बना है। खेल विभागीय पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सहभागिता वाले अनुभवी खिलाड़ियों/एन0आई0एस0 प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों द्वारा सुदूर क्षेत्र में प्रतिभावान को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बेहतर कोटि में लाने में मदद मिलेगी। खेल के विकास एवं आवश्यक खेल अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों/जिलों/प्रखण्डों में अवसंरचनाओं का निर्माण कार्य राज्य सरकार कर रही है।

खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना के कार्यालय का गठन होने से खेल से संबंधित अवसंरचना के निर्माण, जीर्णोद्धार तथा रख–रखाव, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खेल आयोजन एवं खिलाड़ियों के विकास एवं संवर्द्धन से संबंधित कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन होगा।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर),
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।